

04²/₂₁

2020

00282

पत्रपत्रिका वेश डूरो अखिबतल गर्धी उपलब्धित।
विपरीत का नोटीस तामिल कुनिन्दा की
रिपोर्ट नोटीस प्राप्त किया व हस्ताक्षर के (के)
ले मना किया के साथ प्राप्त हुआ जो सलाह
पत्रपत्रिका है। चूंकि विपरीत ने नोटीस लेबर
हस्ताक्षर काले ले मना किया अतः इनके तामिल
माने जाते हैं। विपरीत उपलब्धित नहीं। आवाज
लागवाये गये, उपलब्धित नहीं। अतः इनके विषय
एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं।

----- लागूतार

(श्याम सुन्दर विष्णोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपसुपड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमती मन्जुदेवी ५/५३५

प्रा.पत्र 158/2020 (2020/00282)

बंदल प्रकार अधिवक्ता जारी हुनी गयी।
पुस्तक नक्का जमावरी सम्बत २०६८-२०७१।
अनुसार ग्राम पुरोहितों का सांवत ५० ह०-
तुम्बाडिया की आराजी नम्बर 1243 रकबा
०.५६ हे. प्राचीय के नाम खातेदारी हक
में दर्ज है। प्राचीय अपनी खातेदारी की
उक्त भूमि की पत्थरगद्दी कराना चाहती है।

हमने पत्थरगद्दी का अज्ञानता का
बंदल अधिवक्ता जारी वा भरण किया।
जैर बंदल आराजी प्राचीय की खातेदारी
की है। अतः प्राचीय का प्राचीय पत्र
स्वीकार किया जाता है तथा प्राचीय
की ग्राम पुरोहितों का सांवत ५-६ तुम्बाडिया
लिखित खातेदारी की आराजी नम्बर 1243
रकबा ०.५६ हे. भूमि की बिना किसी के
कहजे में दर्जलगादी किए सेटलमेन्ट
नम्बरे अनुसार पत्थरगद्दी करने के आदेश
दिए जाते हैं। पत्थरगद्दी शुल्क 1000/- रु.
अर्धे एक हजार रु. प्राचीय के वसूल
हो। पालनार्थ तहकीलदार चिमडाह को
लिखा जावे कि पत्थरगद्दी को लिखित पत्र
देकर निचमानुसार पत्थरगद्दी की जावे एवं
पालन रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।
निर्णय लिखाया जाकर सेरे इजलास
पुनाया गया। पत्थरगद्दी के शुल्क
होका नम्बर से कम हो।

2020
00282

(श्याम सुन्दर बिस्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपसंचालक अधिकारी
बिनाडगाव (त.प.)